समाहरणालय, गया

(जिला प्रोग्राम कार्यालय, आई०सी०डी०एस०)

पालना घर

विज्ञापन संख्या-- 01/24

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार पटना के पत्रांक--WCDC/1882/23 दिनांक– 09.08.2023 द्वारा जिलान्तर्गत पालना घर के संचालन हेतु कंडिका 10 एवं 11 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप कर्मियों (श्रम बल) के चयन का निदेश प्राप्त है।

पालना घर के संचालन हेतु स्वीकृत श्रमबल का चयन संबंधित समिति द्वारा किया जायेगा। महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार पटना के उक्त पत्र में पालना घर के संचालन हेतु क्रेच वर्कर एवं सहायक क्रेच वर्कर का एक–एक पद सृजित किया गया है। उक्त पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

क्रमांक	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	योग्यता/अर्हताएँ	मानदेय	अभियुक्ति
01	क्रेच वर्कर (महिला हेतु आरक्षित)	01	शैक्षणिक योग्यता-स्नातक उत्तीर्ण अनुभव- बच्चों के साथ किसी भी संस्थान/स्कूल/आँगनबाड़ी/प्ले स्कूल से संबंधित कार्य का तीन साल का अनुभव। उम्र-अधिकतम उम्र 40 वर्ष।	14,730.00 प्रति माह	पद संविदा आधारित है।
02	सहायक क्रेच वर्कर (क्रेच हेल्पर) महिला हेतु आरक्षित	01	• शैक्षणिक योग्यता-बारहवीं पास अथवा इंटरमीडिएट पास। बच्चों की देख-रेख से संबंधित कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जायेगी। उम्र- अधिकतम उम्र 40 वर्ष।	11,640.00 प्रति माह	पद संविदा आधारित है।

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन विहित प्रपत्र (PDF फार्मेट) में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर ईमेल- dhewgaya@gmail.com पर में भेज सकते हैं।

चयन से संबंधित विभागीय प्रावधान एवं आवेदन का प्रारूप NIC Gaya के वेबसाईट https://gaya.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी
गया।

आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन संख्या.....

1. आवेदित पद का नाम :–
2. अभ्यर्थी का नाम :–
3. जन्म तिथि :–
4. माता का नाम :–
5. पिता / पति का नाम:–
6. आधार कार्ड नम्बर :–
7. पत्राचार का पता :–
8. स्थाई पता :–
9. श्रेणी :– सामान्य ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ अति पिछड़ा वर्ग ☐
   अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ अन्य ☐
10. मोबाईल नम्बर–
11. ई–मेल आईडी–
12. शैक्षणिक विवरणी :–(प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)

	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम
मैट्रिक					
इंटर					
स्नातक					
अन्य					

13. कार्य अनुभव :–

क्र. सं	संस्थान का नाम	पदनाम	कार्य अवधि वर्ष / माह / दिन	कार्य विवरणी

14. संलग्न किए गए कागजातों की सूची :–

1		2	7
3		4	8
5		6	9

घोषणा :–उपर्युक्त सभी सूचना मेरी जानकारी के आधार पर सत्य हैं। यदि भविष्य में कभी कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगी एवं मेरे विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक–
स्थान–

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

राज्य में पालनाघर के संचालन हेतु मार्गदर्शिका

पृष्ठभूमिः– कामकाजी महिलायें जिन्हें अपने 5 वर्ष अथवा उससे कम उम्र के बच्चों के देख–रेख करने वाला घर में कोई नहीं है, वैसे कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत राज्य में 100 इकाई पालनाघर के संचालन की स्वीकृति प्राप्त है।

राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सरकारी सेवाओं में महिलाओं को देय 35 प्रतिशत आरक्षण के परिणामतः नियोजन में महिलाओं की संख्या में उतरोत्तर वृद्धि हुई है। फलतः कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए पालनाघर संचालन की उपयोगिता बढ़ गयी है। इसे ध्यान में रखते हुए पालनाघर को साधन संपन्न बनाते हुए, इसके प्रभावी संचालन हेतु राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा जून 2023 को इसके बजट पुनरीक्षण एवं संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, के अधिसूचना संख्या 10/म॰वि॰नि॰पा॰घ॰–02/23–1349 पटना दिनांक 28.06.2023 द्वारा अधिसूचित किया गया है। योजनान्र्गत पालनाघर के संचालनार्थ प्रतिवर्ष आवर्त्ती व्यय रू. 3,16,440(तीन लाख सोलह हजार चार सौ चालीस) तथा अनावर्त्ती मद में रू. 5,36,428(पाँच लाख छतीस हजार चार सौ अट्टाइस) अर्थात कुल रू. 8,52868(आठ लाख बावन हजार आठ सौ अड़सठ) की दर से प्रति पालनाघर के संचालन हेतु व्यय की स्वीकृति एवं संचालन हेतु पदों का सृजन किया गया है।

2. **योजना का उद्देश्यः–**

i. पालनाघर का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के 5 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को कार्यालय अवधि में डे–केयर की सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि कामकाजी माताएँ अपने बच्चों की आवश्यक मातृत्व संबंधी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए अपने कार्यालय कार्य सही तरीके से संपन्न कर सके।

ii. 5 वर्ष तक के बच्चों जिन्हें दिन के दौरान अपने घर से दूर देखभाल और पर्यवेक्षण की जरूरत होती है, को सामूहिक देखभाल प्रदान करना।

iii. प्री–स्कूल हेतु तैयार करना।

3. **योजना का अभिकरणः–**

- पालनाघर का संचालन वैसे सरकारी संस्थानों/कार्यालयों/उपक्रमों इत्यादि में किया जायेगा, जहाँ 25 अथवा उससे अधिक महिलाएँ नियोजित है।

4. **पालनाघर की क्षमता एवं समयः–**

i. प्रत्येक पालनाघर में 10 बच्चों के रखने की व्यवस्था होगी।

ii. पालनाघर की समय अवधि सामान्यतः प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 9.15 से 6.30 बजे तक होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित समय के बाद लाभार्थी माता जब तक अपने बच्चे को अपने साथ लेकर नहीं चले जाए, तब तक पालनाघर बंद नहीं किया जाएगा।

5. **लाभार्थी:–**

- कामकाजी महिलाओं के 06 माह के ऊपर एवं 5 वर्ष तक के बच्चों को पालनाघर में रखने का प्रावधान होगा। इसकी लाभार्थी सरकारी कार्यालयों/संस्थानों में कार्यरत महिलायें होंगी।

6. **भौतिक संरचना:–**

i. पालनाघर में बच्चों के खेलने, आराम करने एवं सोने के लिए समुचित स्थान होना चाहिए। पालनाघर स्थल कम–से–कम 400 वर्गफीट का होना चाहिए, जिसमें 10 बच्चों के लिए एक बड़ा हॉल अथवा 10x10 वर्गफीट का 2 कमरा एवं खेलने के लिए अलग से स्थान होगा। कमरों के दिवारों पर वॉल पुट्टी किया होना चाहिए तथा कमरों में मरम्मत की आवश्यकता नहीं होना चाहिए।

ii. पालनाघर कामकाजी महिलाओं के कार्यस्थल परिसर/कार्यस्थल के निकट स्थान पर होगा, जहाँ पहुँचकर कामकाजी महिलाएँ अपने बच्चे को यदि चाहे तो स्तनपान/भोजन करा सके।

iii. खेलने के स्थान को पालनाघर में रहने वाले बच्चों के आयु वर्ग की अनुरूप चिन्हित किया जायेगा तथा उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही खिलौनों की व्यवस्था की जायेगी।

iv. पालनाघर परिसर में एक पैंट्री एवं एक शौचालय भी अनिवार्य रूप से होगा। बाल सुलभ (Child Friendly) शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए।

v. स्तनपान एवं बच्चें के डाइपर बदलने के लिए स्थान चिन्हित् होना चाहिए।

vi. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिजली का स्वीच बोर्ड बच्चों के पहुँच से ऊपर होना चाहिए। साथ ही अन्य असुरक्षित उपकरण जिससे बच्चों को नुकसान पहुँचने की संभावना हो, उसे बच्चों की पहुँच से दूर रखा जायेगा।

vii. पैंट्री बच्चों के पहुँच से दूर रहना चाहिए।

viii. पालनाघर में प्राकृतिक हवा एवं रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

ix. पालनाघर की दिवारों पर कस्टमाईज्ड वॉल पेपर लगे होगे, जिसमें बच्चों के मंनोरंजन एवं ज्ञानवर्द्धक संबंधित चित्र यथा जानवरों, पक्षियों का चित्र, हिन्दी एवं अंग्रेजी वर्णमाल, छोटी कविताएँ छपी होनी चाहिए।

x. पालनाघरों के डिजाईन एवं बनावट में एकरूपता हो, इस हेतु कस्टमाईज्ड डिजाईन सभी मापदंड (Specification) के साथ निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अनुरूप ही पालनाघर की व्यवस्था सभी संबंधित कार्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7. **पालनाघर का स्वरूप:–** पालनाघर का संचालन निम्नरूपेण किया जायेगा:–

i. **राज्य मुख्यालय:–** राज्य मुख्यालय के सरकारी भवनों यथा–पुराना सचिवालय, विकास भवन, सिचाई भवन, महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय इत्यादि के परिसर में प्राप्त अनुरोध के आलोक में पालनाघर स्थापित किया जायेगा। प्रत्येक सरकारी भवनों में अवस्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के लिए संचालित पालनाघर

का जिस विभाग के कार्यालय में पालनाघर संचालित है। चिन्हित् नोडल विभाग के प्रधान को पालनाघर के संचालन हेतु बजट राशि निगम द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। पालनाघर की मार्गदर्शिका एवं बजट उपबंध के अनुरूप संचालन की व्यवस्था, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नोडल विभाग द्वारा किया जायेगा।

जिस विभाग के कार्यालय परिसर में पालनाघर अवस्थित होगा अथवा पालनाघर के निकट कार्यालय को संबंधित पालनाघर के लिए नोडल माना जायेगा तथा नोडल विभाग द्वारा एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जायेगा।

ii. **जिला** :– राज्य के सभी जिलों में जिला समाहरणालय अथवा जिला पदाधिकारी द्वारा चिन्हित् कार्यालय परिसर में 01 इकाई एवं पुलिस जिला मुख्यालय में 01 इकाई पालनाघर का संचालन किया जायेगा। जिला स्तर पर पालनाघर का संचालन संबंधित जिला पदाधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होगा।

पालनाघर के संचालनार्थ स्वीकृत बजट राशि निगम द्वारा जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। पालनाघर की मार्गदर्शिका एवं बजट उपबंध के अनुरूप संचालन की व्यवस्था संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

जिला समाहरणालय अथवा जिला पदाधिकारी द्वारा चिन्हित् कार्यालय परिसर में संचालित पालनाघर के दैनिक कार्यो के अनुश्रवण एवं इसके सुचारू संचालन हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. अथवा जिला में पदस्थापित निगम के जिला परियोजना प्रबंधक में से किसी एक को नोडल पदाधिकारी नामित किया जा सकता है।

पुलिस जिला मुख्यालय में संचालित पालनाघर की व्यवस्था संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा की जायेगी तथा उनके द्वारा पालनाघर के दैनिक कार्यो के अनुश्रवण एवं इसके सुचारू संचालन हेतु पालनघर के लिए एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जायेगा।

8. **पालनाघर की व्यवस्था**:–

i. पालनाघर के बच्चों के समुचित डे–केयर के लिए सोने की उचित व्यवस्था, खेलने के लिए खिलौना आदि पालनाघर में उपलब्ध रहेगा।

ii. पालनाघर में रहने वाले बच्चों के माताओं के द्वारा दिया गया भोजन ही बच्चों को खिलाया जायेगा। भोजन को गर्म करने हेतु इंडक्शन चुल्हा एवं इलेक्ट्रिक कैटेल की व्यवस्था होगी।

iii. बच्चों के माताओं के द्वारा दिये गये भोजन को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक पालनाघर में एक फ्रीज (165 लीटर का ब्रांडेड) की व्यवस्था पालनाघर के नोडल कार्यालय द्वारा किया जाना चाहिए।

iv. बच्चों के सोने के लिए बेड की व्यवस्था गद्दे एवं चादर सहित उपलब्ध होगी। साथ ही छोटे बच्चों के लिए पालना की व्यवस्था भी होगी।

v. पालनाघर में पर्याप्त रोशनी हेतु बल्ब एवं पंखा (Wall mounted Fan) की व्यवस्था चयनित स्थान के अनुकूल होनी चाहिए।

महिला विकास निगम, बिहार पटना

vi. पालनाघर में बच्चों को आरामदायक वातावरण मुहैया कराने के लिए चयनित स्थान के अनुकूल फाइव स्टार ब्रांडेड ए.सी. की व्यवस्था होगी।

vii. पालनाघर के पूरे फर्श पर 4 इंच मोटा वाटरप्रूफ फोम का गद्दा बिछा होगा ताकि बच्चे सुरक्षित रूप से खेल सके तथा ऐसी व्यवस्था से खेलते समय चोट लगने की संभावना कम होगी।

viii. बच्चों के अनुरूप छोटे आकार के 04 कुर्सियाँ एवं 01 टेबल की व्यवस्था होनी चाहिए।

ix. शुद्ध पेय जल हेतु आर. ओ. की व्यवस्था होनी चाहिए।

x. पालनाघर में सी.सी.टी.वी कैमरा अधिष्ठापित किया जायेगा, जिसमें प्रवेश द्वार पर 01 एवं पालनाघर परिसर में कम–से–कम 2 कोण में एक–एक कैमरा अधिष्ठापित किया जायेगा, जो कि मोबाईल ऐप से Live जुड़ा होगा। सी.सी.टी.वी कैमरा से संबंधित मोबाईल ऐप अनिवार्य रूप से संबंधित नोडल पदाधिकारी के पास उपलब्ध रहेगा। सी.सी.टी.वी कैमरा का Access लाभुक अभिभावकों के अनुरोध के आलोक में संबंधित नोडल कार्यालय द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है।

xi. पालनाघर में साफ–सफाई की सभी सामग्रियाँ यथा हैंडवॉश, डिशवाशर आदि हमेशा उपलब्ध रहेगा।

xii. प्राथमिक उपचार हेतु किट (Including basic medical supplies) उपलब्ध रहेगा।

xiii. पालनाघर में अग्निशमन यंत्र (Fire Safety Equipments) अनिवार्य रूप से हो।

xiv. पालनाघर की दिवारों पर कस्टमाईज्ड वॉल पेपर लगे होगे, जिसमें बच्चों के मंनोरंजन एवं ज्ञानवर्द्धक संबंधित चित्र यथा जानवरों, पक्षियों का चित्र, हिन्दी एवं अंग्रेजी वर्णमाल, छोटी कविताएँ छपी होनी चाहिए। कस्टमाईज्ड वॉल पेपर का डिजाईन निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अनुसार ही सभी पालनाघर में वॉल पेपर लगाये जायेगे।

xv. रचनात्मक तरीके से बच्चों को सिखाने हेतु सामग्रियों यथा puzzle, Building Blocks, Colouring books & Paper, Crayons, Creative toys, Story & Rhyme books, paint & Brush, Clay, Child Friendly Scissor आदि की व्यवस्था पालनाघर में होगी।

xvi. बच्चों के मंनोरंजन हेतु आयु वर्ग की अनुरूप पर्याप्त मात्रा में खिलौने की व्यवस्था होनी चाहिए

9. पालनाघर की सेवाएँ:–

i. पालनाघर में कामकाजी माताओं के 06 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों कार्यालय अवधि के दौरान को समुचित देख–रेख की सुविधा प्रदान की जायेगी। साथ ही आवश्यकतानुसार सरकारी कार्यालय में कार्यरत पुरूष कर्मियों के बच्चों को पालनाघर में रखा जा सकता है।

ii. अस्वस्थ होने की स्थिति में बच्चे को उस दिन पालनाघर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्वस्थ होने पर पुनः नियमित रूप से बच्चों को पालनाघर की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

महिला विकास निगम, बिहार पटना

iii. पालनाघर में डे–केयर की सुविधा प्राप्त करने वाले बच्चों के अभिभावक के द्वारा बच्चे को खिलाने के लिए पका हुआ खाद्य पदार्थ/भोजन अनिवार्य रूप से पालनाघर के कर्मी को दिया जायेगा। उनके द्वारा दिया गया भोजन कर्मी द्वारा रूटीन के अनुरूप गर्म करके खिलाया जायेगा।

iv. लाभुक माताएँ यदि चाहे तो अपने बच्चें को आवश्यकतानुसा पालनाघर में आकर स्तनपान करा सकती है। स्तनपान कराने हेतु पालनाघर में स्थान चिन्हित् होगा।

v. संरचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास एवं बच्चों को प्री–स्कूल के लिए तैयार करना।

10. **श्रमबल संरचनाः–** पालनाघर के संचालन हेतु क्रेच वर्कर का 01 पद एवं सहायक क्रच वर्कर का 01 पद सृजित किया गया है। स्वीकृत पदों के लिये अहर्त्ताएँ निम्नवत् होगीः–

(क) क्रेच वर्करः– (महिला हेतु आरक्षित)

1. पद की संख्याः–1(एक)
2. शैक्षणिक योग्यताः– स्नातक उर्त्तीण।
3. अनुभवः– बच्चों के साथ किसी भी संस्थान/स्कूल/आँगनबाड़ी/प्ले स्कूल आदि से संबंधित कार्य का 3 साल का अनुभव।
4. उम्रः– अधिकतम 40 वर्ष।

(ख) सहायक क्रेच वर्करः– (महिला हेतु आरक्षित)

1. पद की संख्याः– 1(एक)
2. शैक्षणिक योग्यताः– बारहवीं पास अथवा इंटरमीडिएट।
3. पद पर चयन हेतु बच्चों की देख–रेख से संबंधित कार्यनुभव को प्राथमिकता दी जायेगा।
4. उम्रः– अधिकतम 40 वर्ष

11. श्रम बल से संबंधित सामान्य दिशा–निर्देशः–

i. पालनाघर के संचालन हेतु स्वीकृत श्रम बल ही अनुमान्य होंगे तथा अहर्त्ताएँ एवं अन्य शर्त्ते कंडिका 8 की उप कंडिका में वर्णित है।

ii. राज्य मुख्यालय में संचालित पालनाघर के स्वीकृत श्रमबल का चयन नोडल विभाग/संस्थान द्वारा किया जा सकता है अथवा निर्धारित अहत्ताओं के अनुरूप मानव श्रमबल प्रदात्ता एजेंसी के माध्यम से कर्मियों की सेवा प्राप्त की जा सकती है।

iii. जिला मुख्यालय एवं पुलिस जिला मुख्यालय में संचालित पालनाघर के स्वीकृत श्रमबल का चयन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा अथवा निर्धारित अहत्ताओं के अनुरूप मानव श्रमबल प्रदात्ता एजेंसी के माध्यम से कर्मियों की सेवा प्राप्त की जा सकती है।

iv. विभिन्न स्तरों पर संचालित पालनाघर के कर्मियों के नियुक्ति हेतु संस्थान के प्रधान (जिला पदाधिकारी/विभागाध्यक्ष एवं संबंधित सरकारी उपक्रम/संस्थान के प्रधान) नियोक्ता पदाधिकारी होंगे।

v. स्वीकृत श्रमबलों के विरूद्ध रिक्त पदों पर चयन के लिए कम–से–कम तीन अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा ताकि किसी कर्मी द्वारा पद त्याग/निष्कासन की स्थिति में रिक्त पद पर अन्य वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी को नियुक्त किया जा सके। यह पैनल एक वर्ष की अवधि तक के लिए प्रभावी होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा पैनल की अवधि अगले 01 वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकती है।

vi. सभी नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर किया जायेगा तथा नियुक्त कर्मियों को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सीमा तक सीमित रहेगा।

vii. कार्यरत कर्मियों के समेकित पारिश्रमिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खाता में किया जायेगा।

viii. पालनाघर के लिए नियुक्त कर्मी पूर्णरूपेण पालनाघर के कार्यो के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे तथा उनकी सेवा का उपयोग अन्य कार्य में नहीं लिया जायेगा।

ix. पालनाघर के कर्मियों की कार्य अवधि का विस्तार उनके कार्य मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। कार्यमूल्यांकन हेतु नोडल विभाग द्वारा नोडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय समिति गठित की जायेगी, जिसमें 02 लाभुक माताएँ शामिल रहेंगी। समिति के अनुशंसा के आलोक में कर्मियों के अवधि विस्तार के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

x. स्वीकृत श्रमबल के अलावा संबंधित नोडल संस्थान/जिला अपने स्तर से चाहें तो एक महिला कर्मी को पालनाघर के लिए बतौर पर्यवेक्षक (Supervisor) के रूप में पदस्थापित कर सकते हैं।

12. **कर्मियों की भूमिका**:– पालनाघर द्वारा प्रदत्त सेवाओं के अनुरूप बच्चों के समुचित डे–केयर किया जाय, इस हेतु पालनाघर के लिए स्वीकृत दोनों ही कर्मियों के कार्य दायित्वों निर्धारित की जाती है, जो इस प्रकार होगा:–

(क) **क्रेच वर्कर की भूमिका** :–

i. पालनाघर में बच्चों की सुरक्षा एवं समुचित देखभाल क्रेच हेल्पर के सहयोग से करने की जिम्मेवारी पूर्णरूपेण से क्रेच वर्कर की होगी।

ii. पालनाघर में सुविधा के लाभ लेने वाले इच्छुक लाभार्थियों के प्रथम बार प्रवेश का निबंधन एवं प्रतिदिन बच्चों की प्रविष्ठी की इन्ट्री संबंधित पंजी में करना।

iii. बच्चों के निबंधन के समय बच्चों से संबंधित आवश्यक सभी जानकारी प्राप्त कर निगम द्वारा उपलब्ध विहित प्रपत्र प्राप्त में अंकित करना तथा जानकारी के अनुरूप देखभाल करना।

iv. केस वर्कर निबंधित बच्चों का पहचान पत्र तैयार करने हेतु वांछित सूचनायें लाभुक अभिभावकों से प्राप्त करेंगी। बच्चों को पालनाघर में लाने एवं ले जाने के समय अभिभावकों को प्रदत्त पहचान पत्र की जाँच अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगी।

पालनाघर की सभी पंजियों का सही तरीके से संधारण करना।

महिला विकास निगम, बिहार पटना

vi. क्रेच हेल्पर के सहयोग से पालनाघर के बच्चों की देखभाल बच्चों के दैनिक रूटीन के अनुसार करना।

vii. बच्चों के आयु वर्ग के अनुरूप विभिन्न संरचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास करना एवं बच्चों को प्री–स्कूल के लिए तैयार करना।

viii. पालनाघर की समुचित साफ–सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखना।

ix. पालनाघर में बच्चों के लिए किए गए सुरक्षा उपायों का नियमित रूप से प्रतिदिन निरीक्षण करना एवं इसमें किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर अविलंब दूर करना।

x. बच्चों की सुरक्षा का पूर्णरूपेण ध्यान रखना एवं खतरों से बचाव के लिए सदैव सक्रिय रहना। किसी भी परिस्थिति में बच्चा अकेला ना हो, इसे सुनिश्चित करना।

xi. क्रेच वर्कर पालनाघर में रहने वाले बच्चों में उचित व्यवहार करने की आदत विकसित करने का कार्य करेंगी, ताकि सभी बच्चे अच्छे तरीके से रह सके।

(ख) क्रेच हेल्पर की भूमिका :–

i. पालनाघर के कार्यवधि से पूर्व समुचित साफ–सफाई कर पालनाघर को बच्चों के लिए व्यवस्थित करना।

ii. बच्चों के माताओं द्वारा दिया गया भोजन गर्म करके बच्चों को रूटीन के अनुसार खिलाने का कार्य।

iii. बच्चों की साफ–सफाई एवं डाइपर बदलने का कार्य।

iv. पालनाघर के बच्चों की देखभाल बच्चों के दैनिक रूटीन के अनुसार करने में क्रेच वर्कर को सहयोग करेंगी।

v. बच्चों को हैडवॉश तथा टॉयलेट उपयोग करने में सहयोग एवं निगरानी।

vi. बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना एवं खतरों से बचाव के लिए सदैव सक्रिय रहना। किसी भी परिस्थिति में बच्चा अकेला ना हो, इसे सुनिश्चित करना।

vii. बच्चों के खेलने, सोने के समय बच्चों की निगरानी करना।

viii. पालनाघर के सुचारू संचालन में क्रेच वर्कर के द्वारा दिए गए निदेश का अनुपालन।

13. क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर की सेवा शर्तें:–

i. क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर पदों पर नियोजन परियोजना आधारित अस्थायी प्रकृत्ति का होगा।

ii. नियोजन के समय उपलब्ध करायी सूचनाओं के गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा।

iii. मार्गदर्शिका में विहित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जायेगा तथा 01 वर्ष की अवधि में प्रथम तीन माह परीक्ष्यमान अवधि होगी, इस अवधि में किए गए कार्य मूल्यांकन की समीक्षा संबंधित नोडल पदाधिकरी द्वारा की जायेगी, जिसके आधार पर संविदा अवधि के विस्तार के संबंध में आवश्यक निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जायेगा।

महिला विकास निगम, बिहार
पटना

iv. मानव सेवा प्रदात्ता एजेंसी के माध्यम से कर्मियों की सेवा प्राप्त करने की स्थिति में कर्मियों के परीक्ष्यमान अवधि में किए गए कार्य का मूल्यांकन संबंधित नोडल पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में नोडल संस्थान/कार्यालय द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई मानव सेवा प्रदात्ता एजेंसी द्वारा की जायेगी।

v. कर्मियों के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक ही उन्हें देय होगा, इसके अतिरिक्त कर्मी अन्य किसी भी प्रकार के लाभ एवं सुविधा के हकदार नहीं होगे।

vi. सभी कार्यदिवसों एवं अवकाश की तिथि को कार्यालय खुलने की स्थिति में पालनाघर की सेंवाएँ उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी कर्मियों की संयुक्त रूप से होगी।

vii. सरकारी अवकाश में पालनाघर बंद होने के अतिरिक्त कर्मियों को अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश देय नहीं होगा।

viii. पालनाघर की गोपनीयता बनाये रखने की जिम्मेवारी कर्मियों की होगी। पालनाघर के बच्चों से संबंधित जानकारी एवं बच्चों का फोटो किसी से भी साझा नहीं करेंगी।

ix. पालनाघर में बच्चों को रखने के लिए कर्मियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सुविधा एवं लाभ बच्चों के अभिभावको से नहीं लिया जायेगा। इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी।

14. पालनाघर में संधारित की जानेवाली पंजी निम्नवत् होगीः–

i. **निबंधन पंजीः**– पालनाघर में प्रथम बार प्रवेश हेतु आई लाभार्थी माताओं एवं उनके बच्चों के निबंधन हेतु निबंधन पंजी होगा। निबंधन के समय लाभार्थी माँ के सरकारी कार्यालय में कार्य करने से संबंधित दस्तावेज लेना अनिवार्य होगा।

ii. **बच्चों की उपस्थिति पंजीः**– प्रत्येक बच्चों के प्रतिदिन उपस्थिति की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से बच्चों के आने एवं जाने के समय के साथ बच्चों के उपस्थिति पंजी में किया जायेगा। बच्चों को पालनाघर में छोड़ते एवं वापस ले जाते समय लाभार्थी माता का हस्ताक्षर पंजी में लेना अनिवार्य होगा।

iii. **पालनाघर के कर्मियों की उपस्थिति पंजीः**– क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर द्वारा पालनाघर में आगमन एवं प्रस्थान के समय के साथ उपस्थिति दर्ज की जायेगी।

iv. **आगंतुक (Visitor) पंजीः**– पदाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण एवं पालनाघर की सुविधा प्राप्त करने वाली इच्छुक कामकाजी महिलाओं एवं लाभार्थी माताओं द्वारा feedback स्वयं आगंतुक पंजी में दर्ज किया जायेगा।

v. **भंडार (Stock) पंजीः**– पालनाघर में अनावर्त्तक मद से क्रय की गई सभी सामग्रियों की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से भंडार पंजी में की जायेगी। इस मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद से क्रय की सामग्रियों का स्टोक इन्ट्री भी अनिवार्य होगा। मरम्मत

vi. **बैठक की कार्यवाही पंजीः**– पालनाघर के लिए गठित त्रिसदस्यीय समिति के बैठक की कार्यवाही पंजी में अंकित की जायेगी।

महिला विकास निगम, बिहार पटना

15. **नोडल कार्यालय एवं नोडल पदाधिकारी की भूमिकाः**– पालनाघर जिस विभाग/सरकारी कार्यालय/संस्थान के परिसर में अवस्थित होगा, उसे नोडल माना जायेगा

तथा उनके द्वारा नोडल पदाधिकारी नामित किया जायेगा। पालनाघर के सुचारू संचालन में नोडल विभाग/सरकारी कार्यालय /संस्थान एवं नोडल पदाधिकारी की भूमिका निम्नवत् होगी:–

i. पालनाघर का सुचारू संचालन संबंधित नोडल कार्यालय के देख–रेख में किया जायेगा।

ii. मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुरूप पालनाघर का संचालन किया जा रहा है, इसका अनुश्रवण नियमित रूप से नोडल कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

iii. पालनाघर परिसर की साफ–सफाई उनके कार्यालय परिसर के अन्य स्थान के समान ही कराया जाना नोडल कार्यालय से अपेक्षित है।

iv. पालनाघर में उपयोग में आने वाले आवश्यक सामग्रियाँ यथा –हैड वॉश, सेनिटाइजर, डिशवॉशर आदि नोडल कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

v. पालनाघर में उपयोग में आने वाले चादर, बच्चों का तौलिया, पर्दो की नियमित साफ–सफाई नोडल कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

vi. पालनाघर के कर्मी की दैनिक उपस्थिति का अनुश्रवण नोडल कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

vii. पालनाघर द्वारा प्रदत्त सेवाओं, कर्मियों के लिए मार्गदर्शिका में निर्धारित दायित्व/भूमिका के अनुरूप कार्य किया जाए, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी नोडल कार्यालय की होगी।

viii. पालनाघर की स्थापना हेतु सामाग्रियों का क्रय अनावर्त्तक मद के अनुरूप किया जायेगा। अनावर्त्तक मद के अतिरिक्त पालनाघर को सुविधायुक्त बनाने के लिए सी. सी.टी.वी. कैमरा, फ्रीज, शुद्ध पेय जल हेतु आर॰ओ॰ जैसे उपकरणों का क्रय नोडल विभाग/कार्यालय द्वारा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार इसमें होने वाली मरम्मती का कार्य भी नोडल कार्यालय/विभाग द्वारा ही किया जायेगा।

ix. पालनाघर के संचालन हेतु आवश्यक/आकस्मिक व्यय नोडल विभाग/कार्यालय की जिम्मेवारी होगी।

x. नोडल कार्यालय के लिए चिन्हित् कार्यो के लिए संबंधित नोडल कार्यालय द्वारा नोडल पदाधिकारी नामित किया जायेगा तथा इसकी सूचना अनिवार्य रूप से निगम को दी जायेगी।

xi. पालनाघर के कर्मियों के उपस्थिति का सत्यापन संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। नोडल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित उपस्थिति विवरणी के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

x. पालनाघर के नोडल पदाधिकारी द्वारा नियमित रूप से पालनाघर का अनुश्रवण किया जायेगा तथा इसके सुचारू संचालन हेतु कर्मियों को मार्गदर्शित किया जायेगा।

xi. नोडल संस्थान द्वारा नोडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय समिति गठित की जायेगी, जिसमें 02 लाभुक माताएँ शामिल रहेंगी। समिति की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक माह में किया जायेगा। बैठक की कार्यवाही पालनाघर में संधारित पंजी में अंकित किया जायेगा।

महिला विकास निगम, बिहार पटना

xii. नोडल कार्यालय द्वारा लाभुक अभिभावकों को पालनाघर की सेवा से संबंधित अभिभावकों के चिन्हित् दिशा–निदेश की एक प्रति उपलब्ध करायी जायेगी तथा अभिभावकों को पहचान पत्र दिया जायेगा (अनुलग्नक i एवं ii)

16. **वित्तीय प्रबंधनः**–पालनाघर का संचालन व्यय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सीमा के अधीन एवं उपलब्ध मदों के अनुरूप किया जायेगा। पालनाघर का वित्तीय प्रबंधन निम्न प्रकार होगाः–

i. राज्य मुख्यालय में पालनाघर के संचालनार्थ स्वीकृत बजट राशि निगम द्वारा संबंधित नोडल विभाग/संस्थान को अग्रिम के रूप में आवंटित की जायेगी।

ii. जिला समाहरणालय परिसर एवं जिला पुलिस मुख्यालय में पालनाघर के संचालनार्थ स्वीकृत बजट राशि जिला पदाधिकारी को अग्रिम के रूप में आवंटित की जायेगी।

iii. पालनाघर के संचालनार्थ स्थापना वर्ष के लिए अनावर्त्तक एवं आवर्त्तक मद की राशि निगम द्वारा आवंटित की जायेगी।

iv. अनावर्त्तक मद की राशि से सामग्रियों का क्रय निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुरूप किया जायेगा। इस मद के तहत सामग्रियों का क्रय बिहार वित्त नियमावली 2017 में निहित प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।

v. पालनाघर के स्थापना के प्रथम वर्ष के बाद स्वीकृत आवर्त्तक मद की राशि ही निगम द्वारा विमुक्त की जायेगी।

vi. स्थापना के बाद के वर्षो में पालनाघर के अनावर्त्तक मद की राशि की विमुक्ति Life Cycle Cost के अनुसार निगम द्वारा की जायेगी तथा इस मद से क्रय की जाने वाले सामग्रियों की सूची (Specification) सहित बाजार दर के आधार पर निगम द्वारा ही उपलब्ध कराई जायेगी।

vii. स्थापना वर्ष के बाद पालनाघर हेतु आवश्यक सामग्रियों के क्रय की अनुशंसा राज्य मुख्यालय/ जिला समाहरणालय/पुलिस जिलों में संचालित पालनाघर के सक्षम प्राधिकार से प्राप्त होने पर निगम द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में आवश्यकतानुसार अनावर्त्तक मद की राशि विमुक्त की जायेगी।

viii. पालनाघर के संचालनार्थ आवंटित अग्रिम राशि के व्यय के समायोजन हेतु उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही अगला अग्रिम आवंटन निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र जी.एफ.आर 19 अथवा बी.टी.सी. फार्म 42A में उपलब्ध कराया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ मदवार व्यय विवरणी भी उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय के समायोजन हेतु वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिवेदन (प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष में पालनाघर में प्रविष्टि प्राप्त बच्चों का विवरण, कर्मियों की उपस्थिति विवरणी एव पालनाघ्र का फोटोग्राफ्स आदि) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।,

ix. पालनाघर के संचालन हेतु स्वीकृत बजट के अतिरिक्त इसके आधरभूत संरचना एवं सामग्रियों का क्रय कारपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (CSR) निधि से प्राप्त राशि से किया जा सकता है।

महिला विकास निगम, बिहार पटना

x. राज्य मुख्यालय/जिला समाहरणालय/पुलिस जिलों में संचालित पालनाघर के कर्मियों का मानदेय भुगतान सीधे उनके खाता में आर.टी.जी.एस के माध्यम से किया जायेगा।

xi. पालनाघर में उपलब्ध उपकरणों यथा ए.सी., फ्रीज, इंडक्शन आदि की मरम्मती का कार्य संबंधित नोडल विभाग/कार्यालय द्वारा उनके कार्यालय व्यय से किया जायेगा।

xii. सभी अवस्थाओं में व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित बजट से अधिक नहीं होगी।

17. कार्य समीक्षा एवं प्रतिवेदनः–

- पालनाघर का मासिक प्रतिवेदन नियमित रूप से विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक निगम कार्यालय को संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- पालनाघर के सुचारू संचालन हेतु समीक्षा समिति का गठन किया जायेगा, जो इस प्रकार होगाः–
  - **राज्य स्तरीय समीक्षा समितिः–** राज्य मुख्यालय में संचालित पालनाघर के कार्यो की समीक्षा हेतु महिला एवं बाल विकास निगम के सक्षम प्राधिकार द्वारा एक कमिटि गठित की जायेगी, जिसमें निगम के 2 पदाधिकारी तथा नोडल कार्यालय के नोडल पदाधिकारी होगें।
  - **जिलास्तरीय समीक्षा समिति** – जिला समाहरणालय परिसर में संचालित पालनाघर की समीक्षा हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा एक समीक्षा समिति गठित की जायेगी, जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस, जिला परियोजना प्रबंधक, महिला एवं बाल विकास निगम एवं जिला के किसी सरकारी कार्यालय के एक महिला पदाधिकरी शामिल होंगे।
  - **पुलिस जिलों की समीक्षा समिति– पुलिस जिलों में संचालित पालनाघर की समीक्षा हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें अनिवार्य रूप से 2 सदस्य महिला होनी चाहिए।**
  - सभी स्तरों पर गठित समिति द्वारा पालनाघर के कार्यो की समीक्षा तीन माह में अनिवार्य रूप से एक बार की जायेगी, जिसमें पालनाघर के कार्य प्रणाली की समीक्षा के साथ–साथ कुशल एवं प्रभावी संचालन हेतु कर्मियों को उचित मार्गर्शन प्रदान किया जायेगा। साथ ही अनुश्रवण एवं समीक्षा के क्रम में पाई गई कमियों में सुधार कर पालनाघर का सुचारू संचालन किया जाय, इसे सुनिश्चित करने का जिम्मेवारी समीक्षा समिति की होगी।
  - समीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही अनिवार्य रूप से महिला एवं बाल विकास निगम कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
  - इसके अतिरिक्त नोडल संस्थान द्वारा नोडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय समिति गठित की जायेगी, जिसमें 02 लाभुक माताएँ शामिल रहेंगी। समिति की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक माह की जायेगी। बैठक की कार्यवाही पालनाघर में संधारित पंजी में अंकित किया जायेगा।

महिला विकास निगम, बिहार, पटना

नोटः– सभी पालनाघरों के संचालन में एकरूपता हो, इसे ध्यान में रखते हुए पालनाघर की मार्गदर्शिका तैयार की गई है। पालनाघर में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप इसका संचालन किया जायेगा।

पालनाघर का बजटः–

आवर्त्तक मद प्रति इकाई

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	मानदेय की गणना	मासिक	वार्षिक
1	क्रेच वर्कर	01	रू. 491 X 30	14730.00	1,76,760.00
2	क्रेच हेल्पर	01	रू. 388 X 30	11640.00	1,39,680.00
					रू. 316440.00 (रूपये तीन लाख सोलह हजार चार सौ चालीस मात्र)

अनावर्त्तक मद प्रति इकाई

अनुमानित बजट प्राक्कलन

क्रंस	विवरण	सं॰	इकाई	दर	राशि
1	वाटर प्रूफ गद्दे, बेस 3 इंच (हिल्टन) रेक्सिन ए.आर. डेकोर के साथ (ब्रांडेड)	650	वर्ग फुट (वास्तविक आधार पर)	135.00	87,750.00
2	कस्टमाइज्ड वॉल पेपर (ब्रांडेड)	1450	वर्ग फुट वास्तविक आधार	125.00	1,81,250.00
3	एअर कंडीशनर –2 टन (स्थापना सहित)	01	संख्या	52,500.0	52,500.00
4	इंडक्शन चुल्हा – 1600 वॉट (ब्रांडेड)	01	संख्या	3,600.00	3,600.00
5	डलेक्ट्रिक केटल – 1500 वॉट (ब्रांडेड)	01	संख्या	2,200.00	2,200.00
6	बर्त्तन (सॉसपेन–01, कटोरा–01, चम्मच. 06, क्वाटर प्लेट–06, 03 फीट स्टोरेज कैबिनेट , बाल्टी, मग, डस्टबिन, 02 चादर, तकिया, तौलिया तथा पर्दे)	लगभग		5,000.00	5,000.00
7	दीवार पर लगने वाले पंखे/सीलिंग पेंखे (ब्रांडेड)	08	संख्या	3,500.00	28,000.00
8	सीलिंग लाईट 2x2 वायरिंग केसिंग एवं बीटिंग के साथ (ब्रांडेड)	08	संख्या	5,350.00	42,800.00
9	खिलौने (विवरण अगले पृष्ठ में शामिल) (ब्रांडेड)	....	.....	45,000.0	45,000.00
10	कम ऊँचाई का बिस्तर – गद्दे सहित	01	संख्या	6,500.00	6,500.00
				उप कुल	4,54,600.00
				जी.एस.टी. 18%	81,828.00
				कुल योग	**5,36,428.00** (रूपये पाँच लाख छतीस हजार चार सौ अठाईस मात्र)

पालनाघर की सुविधा हेतु अभिभावकों के लिए दिशा–निदेशः–

i. पालनाघर में कामकाजी माताओं के 06 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को कार्यालय अवधि के दौरान डे–केयर की सुविधा प्रदान की जायेगी।

ii. पालनाघर में डे–केयर की सुविधा सुबह 9.15 से 6.30 बजे तक की समयअवधि में उपलब्ध कराया जायेगा।

iii. पालनाघर में प्रवेश के समय बच्चों का पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी, चिकित्सा इतिहास, एलर्जी आदि से संबंधित सटीक एवं सही सूचनायें लाभुक माताओं/अभिभावकों द्वारा क्रेच वर्कर को उपलब्ध कराया जायेगा।

iv. लाभुक अभिभावकों से अपेक्षा जाती है कि संक्रमित बीमारी से ग्रसित बच्चों को पालनाघर में नहीं रखेंगी। बच्चें के स्वस्थ होने के बाद पालनाघर की सेवाएँ ली जा सकती है।

v. पालनाघर द्वारा अभिभावकों को प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। बच्चों को पालनाघर में छोड़ते एवं ले जाते समय पालनाघर द्वारा प्रदत्त प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा। उपलब्ध कराये गये प्रवेश पत्र में उल्लेखित 02 व्यक्तिओं को ही पालनाघर में बच्चों को छोड़ने एवं ले जाने की अनुमति होगी।

vi. पालनाघर में समुचित डे–केयर जैसे बच्चों के खेलने, आराम एवं सोने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेगी, लेकिन भोजन का प्रबंध पालनाघर द्वारा नहीं किया जायेगा। पालनाघर में रहने वाले बच्चों के अभिभावकों के द्वारा दिया गया खाद्य एवं पेय पदार्थ ही बच्चों को खिलाया जायेगा। अतः बच्चों के पोषण के लिए खाद्य एवं पेय पदार्थ अभिभावकों द्वारा प्रतिदिन उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही कितने अंतराल पर बच्चों को कौन–सा खाद्य पदार्थ खिलाया जायेगा, इससे संबंधित सूचनायें अभिभावकों द्वारा पालनाघर के क्रेच वर्कर को दी जायेगी।

vii. बच्चों से संबंधित आवश्यक सामगियाँ यथा डाइपर/नैपकिन/वाईप्स पर्याप्त मात्रा में, बच्चें का एक सेट कपड़ा ताकि गंदा होने पर बदला जा सके, दूध का बॉटल एवं बाल सुलभ वाटर बॉटल आदि लाभुक अभिभावकों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

viii. लाभुक माताएँ यदि चाहे तो अपने बच्चें को आवश्यकतानुसार पालनाघर में आकर स्तनपान करा सकती है।

ix. पालनाघर के किसी बच्चें का फोटो लिया जाना लाभुक अभिभावकों के लिए वर्जित होगा।

.....

पटना